भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2905

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश का अंतर</u>

2905. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक और वास्तविक निवेश के बीच बहुत बड़ा अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में अपेक्षित वार्षिक निवेश और वास्तबिक वार्षिक निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र खोजने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को रिन्यूएबल फाइनेंस ऑब्लिगेशन (आरएफओ) के ज़रिए अपने निवेश का एक तय फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने के लिए कहने की संभावना पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख): पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आईआरईडीए(इरेडा), पीएफसी, आरईसी, एसआईडीबीआई, आईआईएफसीएल और एनएबीएफआईडी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र में संचयी रूप से लगभग 7.16 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इन संस्थानों द्वारा वर्ष-दर-वर्ष निवेशित पूंजी का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

आरई क्षेत्र में निवेश, वर्ष 2020-21 में 0.66 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2.68 लाख करोड़ रुपये हुआ। तथापि, राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन, अपतटीय पवन ऊर्जा और पारेषण अवसंरचना (ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर) जैसे उभरते क्षेत्रों में, आरई वित्त को अधिक जुटाने की आवश्यकता है।

आईआरईडीए(इरेडा) की "नवीकरणीय ऊर्जा और संबंधित अवसंरचना में निवेश और वित्तपोषण" शीर्षक से रिपोर्ट के अनुसार, भारत को गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन की 500 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने के लिए वित्त वर्ष 24 से वित्त वर्ष 30 तक अनुमानित 30.5 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

(ग) से (ङ): सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें स्वचालित मार्ग के तहत इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना और संप्रभु हरित बांडों (Sovereign Green Bonds) के माध्यम से धन जुटाना और आवंटित करना शामिल है।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत के लिए उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले बैंक ऋणों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण की पात्रता सीमा को बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये तक कर दिया है।

नवीकरणीय ऊर्जा वित्त बाध्यता (आरएफओ) पर सरकार द्वारा अभी तक कोई प्रस्ताव अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

<u>अनुलग्नक-I</u>

दिनांक 17.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2905 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

करोड़ रु. में राशि

संस्था/एं	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
PFC	5489	7022	15112	18941	31695	78259
REC	3263	3404	11209	15822	25608	59306
IREDA	8814	15957	21301	24496	29882	100450
Public Sector Banks+ IIFCL+ SIDBL+NaBFID	42583	38113	54750	92559	147417	375422
FDI	5916	11927	20089	31162	33567	102661
कुल	66065	76423	122461	182980	268169	716098

*****